

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 214/2019

1. रघुनाथ पुत्र मंगला जाति माली निवासी सैथल तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा।

..रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल दिनांक 31.10.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रघुनाथ मु0नं0 89/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री मक्खन शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार



निर्णय

दिनांक: 03.09.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा ने दिनांक 31.10.2019 को ग्राम सैथल तहसील दौसा के खसरा नं0 419 रकबा 0.11 है0 और खसरा नं0 423 रकबा 0.04 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) का तथ्य प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी अपीलांट को दोषी मानकर सजा देने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया। मात्र पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जांच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी पत्रावली में साबित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिये जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपीलांट की ओर से अतिक्रमण हटा लिए जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिए जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बावजूद तामील अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त एवं टीन छप्पर लगाकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से खसरा नं० 419 रकबा 0.11 है० और खसरा नं० 423 रकबा 0.04 है० किस्म चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा